



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2605/2024

1. रूपनारायण पुत्र श्री भोमाराम, उम्र 57 वर्ष (पिता)
2. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री रूप नारायण, उम्र 46 (माता)
3. कृ. ममता कुमारी पुत्री श्री रूपनारायण, उम्र 35 वर्ष (बहिन)
समस्त निवासीगण— ढाणी श्रियाराम बैरवा, (निसमा की ढाणी)
तहसील लवाण, जिला दौसा (राजस्थान)

----प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. विनोद कुमार बैरवा पुत्र श्री जयराम, निवासी— ग्राम बोराई, तहसील बस्सी, जिला—जयपुर, (राजस्थान)
(वाहन चालक बस नंबर RJ-14-PE-3619)
2. लक्ष्मीनारायण मीणा पुत्र श्री वीभाराम मीणा, निवासी— ग्राम पातलवास, पोस्ट राजपुरा पातलवास, तहसील बस्सी, जिला—जयपुर (राजस्थान)
(पंजीकृत स्वामी वाहन बस नंबर RJ-14-PE-3619)
3. युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जरिये प्रबन्धक, कार्यालय — 20, मोहन हाउस, ट्रांसपोर्ट नगर, पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर (राजस्थान)
(बीमा कम्पनी वाहन बस नंबर RJ-14-PE-3619)

----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	: Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Satish Kumar Khandal, Adv. Ms. Shreya Khandal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2, जयपुर महानगर प्रथम (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-139/2021, रूपनारायण व अन्य बनाम विनोद कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में सूरज की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 69,50,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 11,11,662/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,552/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतक दुर्घटना से पूर्व प्लंबर का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 25.08.2020 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को प्लंबर का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा



जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी 252/— रुपये प्रतिदिन के आधार पर उसकी आय की गणना 26 दिनों की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,552/— रुपये निर्धारित की गई है। जबकि मृतक की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 252/— रुपये प्रतिदिन, तदनुसार मासिक आय $252 \times 30 = 7,560$ /— रुपये होती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 20 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा मृतक के आधार कार्ड की प्रति में अंकित जन्मतिथि 19.10.2001 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 18 वर्ष, 10 माह, 06 दिन थी। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में रखा गया। चूंकि वक्त घटना मृतक 18 से 25 वर्ष के मध्य आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 7,560/— रुपये का 40 प्रतिशत 3,024/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 10,584/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/2$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। 10,584/— रुपये का $1/2$ भाग 5,292/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 5,292/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होना निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

8. तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 5,292/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $5,292 \times 12 \times 18$



= 11,43,072 /— रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या—1 व 2 प्रत्येक को 44,000 /— रुपये (कुल 88,000 /— रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। मृतक की बहिन अपीलार्थी संख्या—3 को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000 /— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के पिता व माता, अपीलार्थी संख्या—1 व 2 को तथा मृतक की बहिन अपीलार्थी संख्या—3 को “फिलियल सोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 48,000 /— रुपये (कुल 1,44,000 /— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 16,500 /— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में 16,500 /— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए



18,000 / – रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	11,43,072 / –
2.	कंसोर्टियम के मद में (प्रत्येक अपीलार्थी को 48,000 / – रुपये)	कुल 1,44,000 / –
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 / –
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 / –
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		13,23,072 / –
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि		11,11,662 / –
बढ़ोतरी पश्चात् क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		2,11,410 / –

13. तदनुसार दावाकर्ता/अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्ता/अपीलार्थीगण को **11,11,662 / – रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **13,23,072 / – रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्ता/अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J